**Would Bank assistance for drinking water in M.P.**

3609. SHRI AJIT P. K. JOGI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the amount given bythe World Bank for

(b) the drinking water projects in Madhya

(c) Pradesh during thelast three years, year-wise

(d) , and till date;and

(e) whether Government have finalised any proposal sent by the State Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA) : (a) There is no on-going World Bank assisted drinking water supply project in Madhya Pradesh.

(b) No project for drinking water supply for World Bank assistance has been received from the State Government of Madhya Pradesh.

**आदिवासी क्षेत्रों में सप्लाई किए गए खाद्यान्न के लिए मार्जिन में वृद्धि**

3610. **श्री अजीत जोगी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए रियायती दरों पर राज्यों को सप्लाई किए गए खाद्यान्न के लिए चार वर्ष पूर्व प्रति क्विंटल 25 रुपये का मार्जिन निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मार्जिन राज्यों से सूचना प्राप्त करने के पश्चात् और वास्तविक खर्च को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि राज्यों ने इस मार्जिन में संशोधन करने के लिए कहा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ङ) क्या यह सच है कि मार्जिन में किसी भी वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई है; और

(च) क्या निर्धारित किया गया यह मार्जिन राज्य सरकारों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय से कम है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल)** : (क) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों में दिसम्बर, 1985 से विशेष रूप से राज्य सहायता प्राप्त मूल्यों पर गेहूं और चावल की आपूर्ति करने की योजना शुरू करने से ऐसी दरों पर केन्द्रीय समन्वित आदिवासी विकास परियोजना निर्गम मूल्यों के संदर्भ में निश्चित खुदरा मूल्य निर्धारित किए गए हैं जिससे ढुलाई और वितरण प्रभारों आदि को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को 25/- रुपए प्रति क्विंटल का मार्जिन दिया जा सके ।

(ख) इस मार्जिन के बारे में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा वितरण की औसत अनुमानित लागत का समुचा दृष्टिकोण अपनाने के बाद निर्णय किया गया था ।

(ग) से (च) कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने सूचित किया है कि 25/- रुपये प्रति क्विंटल का मार्जिन सामान्यतया पर्याप्त नहीं है और अतिरिक्त लागत उन्हें वहन करनी पड़ रही है । तथापि, केवल कुछके अपवादों को छोड़कर, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने उपभोक्ताओं के लिए उन्हीं दरों पर समन्वित आदिवासी विकास परियोजना

हेतु निश्चित खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं जो भारत सरकार द्वारा 25/- रु. प्रति क्विंटल के मार्जिन को अनुमति देकर निर्धारित किए गए हैं । यह मार्जिन वह राशि नहीं है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी जाती है । वास्तव में यह वह राशि है जिसका राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता को फायदा पहुंचाया जाता है । यदि कुछ राज्यों में मार्जिन की राशि 25/- रुपये प्रति क्विंटल से अधिक है तो उस दशा में मार्जिन में वृद्धि के लिए अनुरोध करने और इन क्षेत्रों के आदिवासियों और उपभोक्ताओं को इस बढ़ाई गई राशि का लाभ पहुंचाने की बजाए राज्य की आदिवासी जनता के कल्याण के प्रति स्वयं अपनी वचनबद्धता के एक भाग के रूप में राज्य सरकार द्वारा शेष राशि को वहन करना चाहिए ।

**राज्यों को चीनी के कोटे का आबंटन**

3611. **श्री अजीत जोगी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को चीनी का कितना-कितना कोटा दिया जा रहा है, इस आबंटन के मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या राज्यों को प्रति माह चीनी के किए जा रहे आबंटन के कोटे में वृद्धि किए जाने की संभावना है और क्या इसके आधार में परिवर्तन किया जाएगा, यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या राज्यों को चीनी का आबंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, यदि हां, तो 1990 वर्ष के लिए, अनुमानित जनसंख्या के आधार पर चीनी का आबंटन कब तक किया जाएगा; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश के लिए चीनी के कोटे में वृद्धि की गयी है, यदि हां तो यह वृद्धि कब से की जाएगी ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल)** : (क) से (घ) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन 1-10-86 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए न्यूनतम 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के समान मानदंडों के आधार पर किया जाता है । ये मानदण्ड 1 फरवरी, 1987 से लागू हैं । वर्तमान मासिक लेवी कोटे का राज्यवार विवरण उपाबंध में दिया गया है ।

लेवी चीनी की वर्तमान उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस समय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, के लिए इन मानदंडों में संशोधन करना संभव नहीं है ।

**Statement**

*State-wise Monthly Levy Sugar Quota* (Figures in Tonnes)

| Sl. No. | States/Union Territories | Monthly quota from February, 87 onwards |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Andhra Pradesh | 25281 |
| 2. | Andaman & Nicobar Islands | 247 |
| 3. | Arunachal Pradesh | 314 |
| 4. | Assam | 9617 |
| 5. | Bihar | 33459 |
| 6. | Chandigarh | 372 |
| 7. | Dadra & Nagar Haveli | 51 |
| 8. | Delhi | 8721 |
| 9. | Goa, Daman & Diu | 539 |
| 10. | Gujarat | 16194 |
| 11. | Haryana | 6386 |
| 12. | Himachal Pradesh | 2019 |
| 13. | Jammu & Kashmir | 2884 |